क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर

अपशिष्ट प्रबंधन नीति

1. **परिचय**– क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर की स्थापना वर्ष 1963 में हुई थी। यह संस्थान शिक्षा की अवधारणा को उच्च स्तर पर ले जाता है। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर 110 एकड के विशाल परिसर में स्थापित है जो कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली का हिस्सा है।
2. **नीति वक्तव्य**–संस्थान रद्दी निस्तारण, ई–वेस्ट, वर्मी कम्पोस्ट, प्रबंध सेवाओं को लागू करेगा। संस्थान परिसर में अनुपयोगी वस्तुओं को कम करने हेतु संस्थान एक ''अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया'' को लागू करेगा। संस्थान इन आवश्यकताओं को पूरा करने एवं अपने कचरे को जिम्मेदारी से प्रबंधित करने के महत्व को अलग करता है, जहां संभंव हो कचरे की मात्रा को कम करता है।
3. **नीति उद्देश्य**–इस बात की पुष्टि करने के लिए कि अपशिष्ट प्रबंधन देखभाल के कर्तव्य सहित सभी अपशिष्ट विधारी आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है, और भविष्य के परिवर्तनों की योजना बनाने और उनके प्रभावों को कम करने के लिए। स्त्रोत पर अपशिष्ट उत्पादन को कम करना और प्रभावी तरीके से कचरे के निपटान पर मरम्मत, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण की सुविधा प्रदान करना। कचरा प्रबंधन की प्रत्येक गतिविधि की पहचान और समन्वय करने के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिकाएं ओर जिम्मेदारियां प्रदान करना। अपशिष्ट न्यूनीकरण, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण को बढ़ाने ओर प्रेरित करने के लिए पर्यावरण जागरूकता का समर्थन करना। कॉलेज परिसर में पुनर्चक्रण के अवसरों के विस्तार में समर्पित करना और कचरे को मूल्य वर्धित उत्पादों में बदलना। कॉलेज परिसर में कचरे के सुरक्षित संचालन और भंडारण को सुनिश्चित करना। कचरा प्रबंधन के मुद्दों पर शिक्षक, निवासी,कर्मचारियों, छात्रों और अन्य हितधारकों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करना। परिसर में अपशिष्ट प्रबंधन के समय दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना।
4. **संगठन एवं प्रबंधन**– इस अवशिष्ट प्रबंधन नीति के लिए जिम्मेदारियाँ और संगठनात्मक व्यवस्था संस्थान के भीतर विभिन्न समितियों द्वारा की जाती है।

18/10/22

5. **कार्य योजना–**

रद्दी निस्तारण

संस्थान द्वारा सर्वप्रथम विभिन्न विभागों से कागजी रद्दी के निस्तारण हेतु सूचनाएं एकत्रित की जाती है समस्त विभागों से सूचना प्राप्त होने के बाद एक सक्षम समिति का गठन किया जाता है व नीलामी हेतु दो समाचार पत्रों के स्थानीय संस्करण में इस आशय की विज्ञप्ति निर्धारित समयावधि हेतु जारी की जाती है तथा धरोहर राशि डी.डी./बैंक ड्राफ्ट के जरिए निविदाओं के साथ मांगा जाता है। फर्मों से निविदाएं प्राप्त होने के पश्चात समिति द्वारा उन्हें खोला जाता है तथा तुलनात्मक विवरण एवं कार्यवृत्त के अनुमोदन उपरांत अधिकतम उच्चदर देने वाली फर्म/फर्मों को कागजी रद्दी के प्रकार के अनुसार प्रतिकिलो की दर से विक्रय किया जाता है।

ई–वेस्ट

संस्थान द्वारा अनुपयोगी/अप्रयुक्त/अप्रचलित एवं नकारा ई–वेस्ट के तहत आने वाले कम्प्यूटरों, प्रिंटर, यू.पी.एस, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एवं इससे संबंधित सामग्री का विषय विशेषज्ञों से अवलोकन कराया जाता है तथा उपरोक्तानुसार होने पर सामग्री के विक्रय की कार्यवाही की जाती है। सर्वप्रथम सामग्री की सर्वे रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसमें सामग्री का विवरण,संख्या, क्रय की तारीख, मूल्य एवं मूल्य पर Depreciation लगाया जाता है एवं फाईल पर प्रस्तुत कर एक सक्षम समिति का गठन किया जाता है तथा समस्त औपचारिकताओं के पश्चात निविदाकर्ता/निविदाकर्ताओं को खुली बोली द्वारा सामग्री को नीलामी/विक्रय की कार्यवाही की जाती है।

वर्मी कंपोस्ट

सीपीडब्लूडी द्वारा संस्थान में पांच वर्मी कंपोस्ट विभिन्न स्थानों पर निर्माण किए गए हैं, जिनमें फूल, पत्तियां, झाड़ियां, घास इत्यादि को एकत्रित कर वर्मी कंपोस्ट हेतु तैयार किए गए टेंकों में डाला जाता है, जिससे निश्चित समयावधि उपरांत जैविक खाद तैयार की जाती है। जिसका उपयोग संस्थान के बाग बगीचों, थीम पार्क इत्यादि में खाद के रूप में प्रयोग में लाया जाता है।

18/10/22

अनुभाग अधिकारी

(परिसर एवं कल्याण विभाग)